किशोर सिंह बनाम प्यारेलाल प्र.न. 136/21

दिनांक	आज्ञा पत्र
22-4-25	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज .... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 23.5.25 को पेश हो।
23-4-25	पत्रावली अनुसार अधिवक्ता संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2-5-25 को पेश हो।
2.5.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. बास्ते बहस दिनांक 19-5-25 को पेश हो। मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
19.5.25	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप. वकील उभय पक्षान को सुना गया। बास्ते आदेश दिनांक 27.5.25 को पेश हो। मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
27.5.25	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। मु.प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 136 / 2023

1 किशोर सिंह पुत्र बहादुरमल जाति जाट निवासी कुआं, डांगियों का कोटड़ा रोड़ तन चक चारावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 ग्यारसीलाल पुत्र श्री बहादुरमल उम्र 53 साल
2 माडूराम पुत्र श्री बहादुरमल उम्र 60 साल
3 हेमाराम पुत्र श्री बहादुरमल उम्र 55 साल
4 कैलाश पुत्र श्री बहादुरमल उम्र 48 साल
5 बीरबल पुत्र श्री बहादुरमल उम्र 45 साल
समस्त जाति जाट निवासी कुआं, डांगियों का कोटड़ा रोड़ तन चक चारावास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
6 उप पंजीयक नीमकाथाना जिला सीकर राज.
7 भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
8 राज्य सरकार जरिये जिला कलेक्टर सीकर राज.।
9 गीता पत्नी नेकीराम
10 सरस्वती पत्नी सहीराम
11 कमला पत्नी बलबीर
समस्त जाति जाट निवासीगण ढाणी कुशलावाली तन नीमकाथाना जिला सीकर।
12 श्रवण पत्नी तुलसी
13 अणची पत्नी रामजीलाल
समस्त जाति जाट निवासी ढाणी सामोता तन पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
14 प्रहलाद सैनी पुत्र श्री भगवानाराम सैनी उम्र 33 साल जाति माली निवासी मणकसास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

15 यादराम यादव पुत्र श्री बालूराम उम्र 40 साल जाति अहीर निवासी ढाणी अवारसिंह वाला तन पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
16 मुकेश पुत्र श्री नागरमल जाति महाजन निवासी सेम स्कूल के पास वार्ड नम्बर 2 नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
17 सतपाल पुत्र श्री देशराज जाट निवासी सिरोही तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।
18 महेन्द्र कुमार पुत्र श्रीराम जाति जाट निवासी जाखड़ कॉलोनी नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना दिनांक 28.08.2023 अंतर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महेश कुमार पटेल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 27/5/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा नम्बर 307/2016 में पारित निर्णय दिनांक 28.08.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादी ने आराजियात खसरा नम्बर 161, 164, 138, 139, 140 के बाबत एक दावा उद्घोषणा स्थायी निषेधाज्ञा व विभाजन के बाबत विचारण न्यायालय में

संभागीय अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रस्तुत किया था उक्त दावें में आपसी सहमति के आधार पर दिनांक 04.06.2018 को प्राथमिक डिकी जारी की गई थी तथा बंटवारा प्रस्ताव मंगवाया जाकर फाईनल डिकी के बाबत पत्रावली विचाराधीन थी। इसी दरमियान प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने विचारण न्यायालय में ऑर्डर 07 रूल 11 के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिस पर विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों को गलत विवेचन कर वादी अपीलान्ट का वाद खारिज करने का गलत आदेश पारित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि निर्णय व डिकी जैर अपील देने से पूर्व अपीलान्ट को समुचित सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा न ही अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरों का अवलोकन किया गया निर्णय जैर अपील कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण कानूनन निरस्त होने योग्य है। ग्राम चक चारणवास के तन में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 161, 164 व खसरा नम्बर 138, 139, 140 का अपीलानट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसके बाबत अपीलान्ट ने दावा उद्घोषणा, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया था, जो वाद पक्षकारों को समूचित सुनवाई का अवसर देकर कानूनी प्रावधानों के तहत मैरिट्स पर निर्णय पारित होना चाहिए था तथा प्राईमरी स्टेज कर आर्डर 7 रूल 11 के तहत कानूनन वाद खारिज नहीं किया जा सकता, विचारण न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन कर गलत निर्णय पारित किया है, जो कानूनन निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने दावें में प्राथमिक डिकी जारी की है तथा बंटवारा प्रस्ताव मगवाया गया है, तथा बंटवारा प्रस्ताव आने के बाद उक्त दावा कानूनन मैरिट्स के आधार पर फाईनल डिग्री जारी होनी चाहिए थी लेकिन विचारण न्यायालय ने सारे कानूनी प्रावधानों को ताक में रखकर आर्डर 7 रूल 11 के तहत गलत रूप से दावे को खारिज कर अतः निर्णय जैर अपील कानूनन निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 10 ने दावे के दरमियान आराजियात मुतनाजा में हिस्सा खरीदा है तथा खरीदने के बाद ही प्रतिवादी

भूप्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

नम्बर 10 रिकार्ड पर आयी है, इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 10 को कानूनी प्रावधानों के तहत आर्डर 7 रूल 11 जाब्ता दिवानी के तहत वाद प्रस्तुत करने का कानूनी कोई अधिकार नहीं था फिर भी विचारण न्यायालय ने उनके आवेदन पर वादी खारिज कर कानूनी गलती की है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना दिनांक 28.08.2023 निरस्त फरमायी जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2011(3) राज. पेज 1066, डीएनजे 2022(2) रेव पेज 986 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि जमाबन्दी संवत 2075—2078 अनुसार वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 161, 164 किता 2 रकबा 4.93 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 20 खसरा नम्बर 138, 139, 140 किता 3 रकबा 3.68 हैक्टैयर अवस्थित ग्राम चक चारावास तहसील नीमकाथाना को लेकर घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद वाद द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाता संख्या 20 व खाता संख्या 21 की जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों खातों में खातेदार समान नहीं है। राजस्थान काश्तकारी कानूनन की धारा 53(5) में स्पष्ट अंकित है कि एक से अधिक भूमि क्षेत्रों के बंटवारे हेतु एक ही दावा किया जा सकता है बशर्ते कि उसमें पक्षकार वे ही हों। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के दोनों खातों में समान पक्षकार न होकर, पक्षकार भिन्न है। अतः धारा 53(5) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भिन्न—भिन्न पक्षकार के मध्य एक ही दावा विभाजन व काउन्टर क्लेम कानूनन चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण

भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर.

न्यायालय के समक्ष वादी अपीलांट द्वारा जमाबन्दी संवत 2075–2078 अनुसार वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 21 खसरा नम्बर 161, 164 किता 2 रकबा 4.93 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 20 खसरा नम्बर 138, 139, 140 किता 3 रकबा 3.68 हैक्टैयर अवस्थित ग्राम चक चारावास तहसील नीमकाथाना को लेकर घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया है। खाता संख्या 20 व खाता संख्या 21 की जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दोनों खातों में खातेदार समान नहीं है।

इस संदर्भ में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53(5) में स्पष्ट अंकित है कि "एक से अधिक जोतो के विभाजन के लिए एक ही वाद संस्थित किया जा सकेगा बशर्ते कि पक्षकार वे ही हो।"

स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के दोनों खातों में समान पक्षकार न होकर, पक्षकार भिन्न है। अतः धारा 53(5) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार भिन्न–भिन्न पक्षकार के मध्य एक ही दावा विभाजन व काउन्टर क्लेम कानूनन चलने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रावधानों का विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 07 नियम 11 के तहत खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 2/5/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार-II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर